

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश : जबलपुर

D/741

पृष्ठांकन क्रमांक Q-3 (Budget) /
चार-3-2/2014(मुख्य)


जबलपुर, दिनांक 12/03/2016
14-3-16

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक-415/आर. /चार/ब-7/डीएमसी/2016 दिनांक 11-03-2016 द्वारा जारी वर्ष 2015-16 में मितव्ययता के उपाय के संबंधी में उनके विभागीय पत्र क्रमांक-1749/2015/डीएमसी/ब-7 दिनांक 15/10/2015 से लगाये गये प्रतिबंध को मांग संख्या-29-2014-न्याय प्रशासन (105) सिविल और सेशन न्यायालय-योजना-(4497), (6020), (6211), (6775) (मतदेय) की स्थापनाओं हेतु उद्देश्य शीर्ष 22-"कार्यालय व्यय" के विभिन्न उपमदों तथा उद्देश्य शीर्ष परामर्शी सेवा के लिए उपरोक्त प्रतिबंध को शिथिल किये जाने संबंधी पत्र की प्रतिलिपि :-

- (1) जिला एवं सत्र न्यायाधीश.....(मध्यप्रदेश)
- (2) प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय.....(मध्यप्रदेश),
- (3) रजिस्ट्रार(प्रशासन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
- (4) रजिस्ट्रार (आई0टी0)/आई0टी0(एस0ए0), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर की ओर अनुक्रमांक 1 एवं 2 की प्रतियां ई-मेल के जरिये प्रेषित किये जाने तथा उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु
- (5) डिप्टी रजिस्ट्रार-सह-रजिस्ट्रार जनरल महोदय की निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर
- (6) ओ0एस0डी0(लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर,
- (7) ज्वाइंट रजिस्ट्रार(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर
- (8) कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

()
(व्ही0एन0एस0 ठाकुर)
ओ0एस0डी0(लेखा)

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक /आर. /आर/ब-7/डीएमसी/ 2016

भोपाल दिनांक /03/2016

प्रति,

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,

सह-आयुक्त,

कोष एवं लेखा,

मध्यप्रदेश भोपाल ।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2015-16 में वित्तव्ययता के उपाय ।

000

उपरोक्त विधायकगत विभागीय प्रस्ताव के अनुक्रम में मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रं०-1749/2015/डीएमसी/ब-7 भोपाल, दिनांक 15/10/2015 से लगाये गये प्रतिबंध के संदर्भ में योजना क्रमांक 4497 में शेष राशि रुपये 21.46 करोड़ (रुपये इक्कीस करोड़ छियालीस लाख मात्र), योजना क्रमांक 6020, में शेष राशि रुपये 0.41 करोड़ (रुपये इकतालिस लाख मात्र), योजना क्रमांक 7984 में शेष राशि रु. 0.79 (रुपये नव्यासी लाख मात्र) एवं योजना क्रमांक 6211 में शेष राशि रु. 0.09 करोड़ (रुपये नौ लाख मात्र) वर्ष 2015-16 के पुनरीक्षित अनुमान की सीमा तक उपरोक्त प्रतिबंध को शिथिल किया जाता है।

(अदिति कुमार त्रिपाठी)

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

मंत्रालय, भोपाल

भोपाल दिनांक 11/03/2016

क्रमांक 415/आर. /आर/ब-7/डीएमसी 2016

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग, भोपाल।

2. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर।

का 15

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

मंत्रालय, भोपाल